न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी

(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी शुचि त्यागी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 74/**2018 अपील सू.प्र.**

उनवान

श्री महावीर सिंह पिता नारायण सिंह राजपूत नि0चावण्डेरी पो0 भोपालगढ वाया पुर जिला भीलवाड़ा **बनाम** सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भीलवाड़ा

––अपीलार्थी **––प्रत्यर्थी**

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) अधिनियम 2005

उपस्थित :– अपीलार्थी अनुपस्थित
प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधी

निर्णय

दिनांक : 15/10/2018

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भीलवाड़ा के विरूद्ध दिनांक 28.08.2018 को अपीलार्थी की ओर से जरिये डाक अपील प्राप्त हुई। आवेदन सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भीलवाड़ा को दिनांक 12.07.2018 को प्रस्तुत किया जिसके सम्बन्ध में सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भीलवाड़ा ने सूचना नियत अवधि दिनांक11.08.2018 तक भी उपलब्ध नहीं कराई जिससे यह अपील प्रस्तुत की है। अपीलार्थी द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, भीलवाड़ा में प्रस्तुत आवेदन दिनांक 12. 07.2018 की प्रति अपील मेमो के साथ प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत अपील इस कार्यालय में दिनांक 05/09/2018 को पंजीबद्ध किया जाकर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी् को सूचना पत्र जारी किया गया। तथा प्रत्यर्थी सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भीलवाड़ा से तथ्यात्मक प्रतिवेदन चाहा गया। प्रत्यर्थी प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर दिनांक 24.09.2018 को अपने पत्रांक सू.अ./2018/126 दिनांक 24.09.2018 से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी को उसके आवेदन दिनांक 12.07.2018 में अंकितानुसार सूचना तैयार कर सीधे ही निःशुल्क अपने पत्रांक सू.अ./2018/125 दिनांक 17. 09.2018 से भिजवाना अंकित करते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी को सूचना निःशुल्क उपलब्ध करा दी गई है अतः अपील खारिज फरमाई जावे। अपीलार्थी अनुपस्थित एवं प्रत्यर्थी को सुना गया।

प्रत्यर्थी की ओर से प्रस्तुत तथ्यात्मक प्रतिवेदन व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया ।

अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 12.07.2018 के अनुसार ग्राम कारोईकला के नामान्तरकरण संख्या 3603 एवं 3614 एवं उस पर चस्पा आदेशों की प्रतियां चाही गई। प्रत्यर्थी के द्वारा उक्त दोनों नामान्तरकरण एवं उन पर चस्पा आदेशों की प्रतियां अपीलार्थी को अपने पत्रांक /सू.अ./2018/125 दिनांक 17.09.2018 से निःशुल्क उपलब्ध करा दी गई है। इस सम्बन्ध में अपीलार्थी के द्वारा लिखित या मौखिक रूप से न्यायालय में उपस्थित होकर किसी प्रकार से खण्डन प्रस्तुत नहीं किया एवं प्रत्यर्थी द्वारा जो जवाब प्रस्तुत किया उसके साथ संलग्न नकलों की फोटों प्रतियों से भी स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी के द्वारा जो सूचना चाही गई वे ही सूचनाएं है जो अपीलार्थी को निःशुल्क उपलब्ध करादी गई है। यह सही है कि सूचना विलम्ब से उपलब्ध कराई गई है परन्तु सूचना के सम्बन्ध में अपीलार्थी का कोई खण्डन प्रस्तुत नहीं होने एवं निःशुल्क उपलब्ध करादी जाने से अपील में कोई सार नहीं रहता है।

अतएव उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है। आदेश की प्रति अपीलार्थी व प्रत्यर्थी सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भीलवाड़ा को सूचनार्थ भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 15/10/2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा